[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 03/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो सा.का.नि. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम सं. 6क के सामने,-

(क) स्तंभ (3) के परंतुक में, मद (v) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(vi) मेटल शील्ड";

(ख) स्तंभ (4) में दोनों स्थानों की प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 6ख के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात "कैमरा लेंस" को लागू नहीं होगी";

(ख) स्तंभ (4) में दोनों स्थानों की प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं. 6ग के सामने स्तंभ (4) के दोनों स्थानों की प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं. *7* के सामने,-

(क) स्तंभ (3) के मद (iv), (v), (vi), (vii), (ix), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxv), (xxvii), (xxviii), (xxx) का लोप किया जाएगा ।

(ख) स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं. *7*क, *7*ख, *7*ग और *7*घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) क्रम सं. *7*ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा ;

(vii) क्रम सं. 8 के सामने,-

(क) स्तंभ 3 में मद (v), (vi) और (vii) का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(viii) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ix) क्रम सं. 13 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"निम्नलिखित माल के अलावा सभी माल, अर्थात् :-

(क) चार्जर या पावर अडाप्टर ;

(ख) सौर इंवर्टर" ;

(x) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"13अ	8504 90 90	निम्नलिखित माल के अलावा सभी माल; अर्थात् :- (क) चार्जर या पावर अडाप्टर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली; (ख) चार्जर या पावर अडाप्टर का मोल्डेड प्लास्टिक	10%	-",

(xi) क्रम सं. 16, 17, 17क और 17ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(xii) क्रम सं. 20 के सामने स्तंभ (3) के मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(ज) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) प्रोडक्ट्स;

(झ) लॉंग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रोडक्ट्स";

(xiii) क्रम सं. 22 के स्तंभ (3) के सामने मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(ज) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) प्रोडक्ट्स;

(झ) लाँग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रोडक्ट्स"।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 2/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित और सं. सा.का.नि. 62(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।